

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:-एफ 7(1)AWW/WWH /ICDS/TR /2015/ 140555-87 जयपुर, दिनांक: 20-10-16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- कार्यकर्ताओं के कार्य प्रशिक्षण, सहायिकाओं के ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण, व पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित आगंनबाडी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की संख्या की सूचना बाबत।

उपरोक्त विषय अनुसार निर्देश है, की आप अपने अधीनस्थ सभी बाल विकास परियोजनाओं से कार्य प्रशिक्षण हेतू नव चयनित कार्यकर्ताओं की व ओरिएन्टेशन से वंचित सहायिकाओं की सही संख्या एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित मानदेय कर्मियों व पर्यवेक्षकों की सूचना निदेशालय को निम्न प्रारूप में प्रति माह दिनांक 25 तक अति आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे।

पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित मानदेय कर्मियों व पर्यवेक्षकों में वे सभी मानदेय कर्मी व पर्यवेक्षक सम्मिलित है जिनका पुनश्चर्या प्रशिक्षण नहीं हुआ है, अथवा पुनश्चर्या प्रशिक्षण को हुऐ दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है।

क्र. सं.	कार्य प्रशिक्षण हेतू आगंनबाडी कार्यकर्ताओं की संख्या	ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण से वंचित सहायिकाओं की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित आगंनबाडी कार्यकर्ता की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित सहायिकाओं की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित पर्यवेक्षकों की संख्या

निदेशालय द्वारा समय-समय पर मानदेय कर्मियों सम्बन्धी सूचना राज-पोषण पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये है। इस में प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना भी शामिल है लेकिन यह देखा गया है की कुछ जिलों की मानदेय कर्मियों की पुनश्चर्या प्रशिक्षण सम्बन्धी पूर्ण सूचना 2015 के बाद उपलब्ध नहीं है। यह सूचना अतिशीघ्र राज-पोषण पर अपलोड करवाने का श्रम करे।

(रामावतार मीना)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।